

28/11/24

अपीलें अनुपासित/रेस्यो.उपासित/प्रकरण में
अपीलें को नोटिस जारी किये जाने के परन्तु
लमिली रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। इससे
अतिरिक्त अपीलें को मोबार्ल नंबर एवं फ़ोन नं.
जान पता भी पताबली पर अंकित नहीं किया
गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के संबंध में
अपीलें से सम्पर्क किया जाना संभव नहीं होगा।
लिहाजा उपरोक्त पताबली अपीलें को अपील
पुनः प्रस्तुत करने के संबंध में तक-अधिकार
सुरक्षित रखते हुए अदम हाजिरी अदम पैरवी
में धारिज से धाली है। पताबली फैसल सुमार
होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दालिल दफ़्तर
है।

